

(गोरख पांडेय की कविता)

परंपरा और प्रगति

ठाकुर जनरैल सिंह ने मूँछ पर ताव देते हुए फरमाया,
साहब, हल चलाना पाप है

सच यह है कि हल न चलता
तो उनकी हवेली में चूल्हा न जलता
और अगर ठाकुर रोटी न पाते
तो कभी के घाट लग जाते.

मैंने उन्हें अदब से समझाया,
हल चलाना अभी तक पाप है
क्योंकि ज़मीन और डंडे के
मालिक अभी तक आप हैं
और नफ़रत और गुस्से के
बावजूद घरभरन चुपचाप है
फिर भी रोटी के नाते सदियों से
वह आपका खानदानी बाप है

ठाकुर जनरैल सिंह ने
उतरी हुई मूँछ को फिर ताव दिया,
राम-राम, आपने किस पापी का
नाम लिया धर्म के देश में
याद है, मेरे दादा ने
किस तरह कोड़े से पीट-पीट कर
उसके दादा का भुर्ता बना दिया था
और मेरे बाप ने,
जब पागल हुआ था उसका बाप,
सारा-का-सारा हलवाहों का टोला जला दिया था
तो जनाब,
हमारी इस महान शानदार परंपरा को
अभी समझा नहीं आपने
और आप कहते हैं
कि ये हलवाहे एक दिन बगावत करेंगे
छीन लेंगे ज़मीन
और हम या तो हल चलाएंगे या भूखों मरेंगे
तो कान खोलकर सुन लीजिए
कि हलवाहों की छुट्टी कर
हम ट्रैक्टर मंगवाएंगे रूस से
गेहूँ अमरीका से
लेकिन घरभरन की जाति को
इस पुनीत धरा से भगाएंगे
यानी कि हमारा प्रगति में भी विश्वास है
कहावत है, भैंस उसकी-लाठी जिसके पास है
फिर भी अगर मानेंगे नहीं ये घरभरन
तो रूस और अमरीका को भी
इनसे लड़ाई करने बुलाएंगे
जैसे वियतनाम में
जैसे कंबोडिया में
इकलौती भारत माता के हम ही असली सपूत हैं
और धाक-धौंस और इज्जत के जितने भी सबूत हैं
उनके अनुसार कह सकते आप हैं
कि रूस और अमरीका हमारे दो-दो बड़े बाप हैं!

पेज 1 का शेष भाग

विकास कार्य कटेंगे तो वेतन बटेंगे

वास्तव में इस मद में प्राप्त होने वाली रकम को आय कहना एकदम ग़लत है। आय तो केवल वही होती है जो निगम विभिन्न टैक्सों व शुल्कों के जरिये जनता से वसूलती है। इसी वसूली के आधार पर निगम को अपने स्थाई खर्चों का निर्धारण करना होता है। स्थाई खर्च में वेतन भत्तों एवं निगम कार्यालयों को चलाये रखने का मूल खर्च होता है। यह खर्च किसी भी संस्थान की कुल असल आय के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। इससे जितना अधिक खर्च होता है, उतना ही संस्थान को निकम्मा और काहिल माना जाता है। अपने इसी निकम्मेपन व काहिली को छिपाने के लिये सदैव बजटीय आय को वास्तविक होने वाली आय से बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है।

बजट में वेतन, भत्तों व कार्यालयों को चलाने पर करीब 202 करोड़ का खर्च दिखाया गया है। इस मद में होने वाला खर्च हमेशा बढ़ता है, क्योंकि इसे दर्शाया ही कम करके जाता है, जबकि विकास कार्यों पर दिखाया जाने वाला खर्च वास्तव में कभी भी आधे से ज्यादा खर्च नहीं हो पाता, क्योंकि इस काम की प्रथमिकता सबसे बाद में होती है। मौजूदा 1425 करोड़ के बजट में 202 करोड़ का वेतन भत्तों पर होने वाला खर्च कुल बजट का मात्र सातवां भाग यानी की 15 प्रतिशत के आसपास नज़र आता है, जबकि यह सबसे बड़ा छलावा है।

यदि वास्तविक आय, जो 250 से 300 करोड़ तक होने वाली है, को सही माना जाय तो यह खर्च 80 प्रतिशत से भी कहीं अधिक पड़ेगा। जबकि दूसरी ओर, जनता को भ्रमित करने के लिये 1425 करोड़ में से 1125 करोड़ का खर्च विकास कार्यों पर दिखाया गया है। यह कुल बजट का करीब 83 प्रतिशत बनता है। परन्तु साल के अन्त में जाकर पता चलेगा कि इस मद में 1125 की जगह मात्र 400-500 करोड़ ही खर्च हो पाया है। ऐसा होना

रेल बजट: निजीकरण की ओर एक कदम और



रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने 26 फरवरी को संसद में रेल बजट पेश किया, इस बजट पर आने वाले चुनावों की छाप दिखाई पड़ी। 100 से अधिक नई रेल गाड़ियां चलाने, कुछ नई फकिट्रियां लगाने, डेढ़ लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा करने, पूर्वोत्तर राज्यों को रेल से जोड़ने, रेल गाड़ियों में सुविधायें बढ़ाने आदि घोषणाओं के जरिये अगले चुनाव में वोट हासिल करने के तीर चलाये गये। रेल घाटा 2011-12 के 22, 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2012-13 में 24,600 करोड़ रुपये का हो गया। ऐसे में हर क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस बजट में इससे 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कबाड़ बेचकर 4500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लिया गया है। यहां तक कि कर्मचारियों के मकानों को भी सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल से बनाने की योजना रखी गयी है। इस तरह से भारतीय रेलवे में निजी कम्पनियों की घुसपैठ का निरन्तर बढ़ाना इस बजट में भी जारी रहा। निजी कम्पनियों खाना सप्लाई करने, नई रेल लाइन बिछाने, टिकट बेचने, मरम्मत करने से आगे बढ़कर अब कर्मचारियों के मकान बनाने के ठेकों तक पहुंच चुकी है।

रेल बजट आने से 1 माह पहले ही रेलवे के किरायों में वृद्धि की गयी थी अब इस बजट में सामान्य दर्जे को छोड़कर बाकी सभी दर्जों पर एक सरचार्ज लगाकर फिर से किराया बढ़ाया गया है। सुपर फास्ट चार्ज को लगभग डेढ़ गुना कर दिया गया है। टिकट रद्द कराने में आरक्षित टिकटों की कटौतियों में भारी वृद्धि की गयी है। इस तरह से किराया न बढ़ाने की बातें करते हुए भी प्रकारान्तर से भारी वृद्धि की गयी है। रेल बजट में माल भाड़े में भी लगभग 5 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गयी है। इस वृद्धि के चलते सभी उपभोक्ता सामानों की कीमतों में वृद्धि होगी जिसका असर देश की जनता को झेलना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह बजट देखने में भले ही लोकलुभावना घोषणाओं वाला बजट लगा हो परन्तु वास्तव में पीठ पीछे जनता की जेब पर छुरी चलाने वाला बजट रहा है।

इसलिये जरूरी है कि दर्शायी गयी 1425 करोड़ की आय तो होनी ही नहीं है तथा खर्च में कटौती और कहीं से हो नहीं सकती। ले देकर कटौती की कैंची इसी मद पर चलनी है।

इस छलावे की हकीकत को समझने के लिये गत वर्ष का उदाहरण काफी है, जिसमें विकास कार्यों के लिये करीब 727 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी, जबकि इस कार्य के लिये मात्र 323 करोड़ ही उपलब्ध हो पाये।

ये आंकड़े तो केवल धन खर्च करने के हैं, असल बात तो यह देखने की है कि विकास कार्यों पर दिखाये गये खर्च का वास्तव में होता क्या है? खर्च दिखाने के लिये पहले सड़क बनाई जाती है, फिर उसे खोदकर सीवर लाइन डालकर फिर से सड़क बनाई जाती है। इसके बावजूद सीवर लाइन कभी चलती नहीं और सड़क जगह-जगह से बैठ जाती है। सीवर लाइन को चलाने के लिये मशीनों द्वारा सफाई के ठेके दिये जाते हैं तथा सड़कों की मरम्मत का काम भी लगातार चलता ही रहता है। समझना कठिन नहीं है कि जिन लोगों के वेतन भत्तों पर 202 करोड़ का खर्च दिखाया जाता है, उन्हीं में से तमाम लोग विकास कार्यों पर दिखाये गये खर्चमें बड़े पैमाने पर संंध मारी भी करते हैं।

ए सी पी के सामने पीड़ित को पीटा

अनेकों राजनेता इसी तरह के कामों के लिये दुकानें खोले बैठे हैं। राजनीतिक प्रभाव के साथ-साथ लेन देन हो जाने के बाद मामले को रफ़ा दफ़ा करने की राह तैयार की जायेगी।

मनीष की पहली शिकायत, जो उसने दिसम्बर से पहले की थी, पर यदि पुलिस ने वांछित कार्यवाही कर दी होती तो गुंडागिरोह के हौंसले इस कदर न बढ़ पाते। दरअसल पुलिस का यह रवैया बन चुका है कि कोई कार्यवाही नहीं करनी जब तक कि पर्याप्त 'फ़ोर्स' न मिल जाये या फिर कोई भारी भरकम ऊपरी दबाव न आ जाये। हां शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी पक्ष से जरूर सम्पर्क साध कर सौदेबाजी कर लेती है। पुलिस के इसी रवैये के चलते अब कोई गुंडा पुलिस से नहीं डरता क्यों कि वह पुलिस की औकात एवं कीमत से परिचित रहता है।

शरीफ़ आदमी तो पुलिस के पास शिकायत ले कर कभी कभार ही जाता है, जबकि गुंडों एवं अपराधियों का पुलिस के पास आना-जाना आम बना रहता है। रोज़-रोज़ के इस आने-जाने से दोनों के सम्बन्ध भी अति मधुर बन जाते हैं। इन सम्बन्धों में मधुरता बनाये रखने तथा बढ़ाने के लिये अपराधी लोग लूटे गये माल का एक भाग पुलिस की सेवा में भी अर्पित करते रहते हैं। इसी के चलते पीड़ित एवं शिकायतकर्ता तो थाने में अपराधी की तरह गिड़गिड़ाता है और आरोपी थानेदार के साथ कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा होता है। जल्द ही एसी पी रमेश पाल के साथ उपरोक्त गुंडे भी इसी तरह नजर आयेंगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा किस पर आता है ?

दूसरे देश के शासकों तक को मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोपों में सज़ा दिलाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का इस्तेमाल करने वाली अमेरिकी सरकार कत्लेआम के दोषी अपने उद्योगपति को बड़ी बेशर्मा से संरक्षण देती आई है। पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आकर न दिया। गुस्सा तो दूर वे कभी पूछने की मुद्रा में भी नहीं आये कि एंडरसन को न भेजने के पीछे अमेरिकी सरकार के क्या तर्क हैं ?

इस बीच एक बार तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद हर्जाना राशि तय कर यूनिथन कार्बाइड के एंडरसन इत्यादि की समस्त आपराधिक जवाबदेही ही समाप्त कर दी थी। पुरस्कार स्वरूप तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आर एस पाठक को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनाया गया था। एंडरसन के वापस अमेरिका जाने के सौदे में राजीव गांधी के पारिवारिक मित्र मोहम्मद युनुस के बेटे, जो अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप में 30 साल की सज़ा काट रहा था, को माफ़ी दे कर वापस भारत भेज दिया गया। शेष इतिहास है। कहने को भोपाल की अदालत में आपराधिक मुकदमा बीसियों साल खिंचता रहा और उसका फ़ैसला भी आ गया। पर एंडरसन मुकदमा भुगतने कभी आया नहीं और सुप्रीम कोर्ट को भी इस न्यायिक अवमानना पर गुस्सा कभी आया नहीं। आता भी कैसे सामने अमेरिका जो ठहरा।

मजदूर मोर्चा

नियमित पढ़ने हेतु पाठकगण अपने
हॉकर से संपर्क करें। जो हॉकर,
आपके घरों में दैनिक अखबार डालते
हैं, आपके आदेश पर मजदूर मोर्चा
भी डालेंगे।

कोई दिक्कत हो तो दीक्षित न्यूज़ एजेंसी
से 9811159238 पर संपर्क करें।

'मजदूर मोर्चा' प्रिंटफोर्ट, नेहरू ग्राउंड पर भी उपलब्ध है।